

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

1. नगर पंचायत, टिकैत नगर, जनपद-बाराबंकी।
2. नगर पंचायत, नगर बाजार, जनपद-बस्ती।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-444/न0पं0टि0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-30.01.2024 एवं पत्रांक- मेमो0/नं0पं0न0बा0/2023-24, दिनांक-25.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से क्रमशः नगर पंचायत, टिकैत नगर, जनपद-बाराबंकी एवं नगर पंचायत, नगर बाजार, जनपद-बस्ती को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रू0 150.79 लाख तथा रू0 197.95 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पंचायत, टिकैत नगर, जनपद-बाराबंकी तथा नगर पंचायत, नगर बाजार, जनपद-बस्ती द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पंचायत

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत 25 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, टिकैत नगर, जनपद-बाराबंकी	1. वार्ड संख्या 01 में पार्क से शिवलाल के प्लॉट तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० रोड निर्माण कार्य। 2. वार्ड संख्या 01 में डॉ० अलीम के मकान से बालचन्द के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। 3. वार्ड संख्या 01 में रामचन्द्र धोबी के खेत से चुन्नू गौतम के खेत तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य 4. वार्ड संख्या 02 में नन्दकिशोर रावत के घर से बाईपास मेन रोड तक नाला उच्चीकरण व सी०सी० रोड निर्माण कार्य 5. वार्ड संख्या 03 में शिवा पान वाले के मकान से मेराज के मकान तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० रोड निर्माण कार्य। 6. वार्ड संख्या 07 में महादेव गौतम के मकान से राजकुमार के घर तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० रोड निर्माण कार्य। 7. वार्ड संख्या 07 में हलीम के मकान से हाफिज के मकान से मेराज के मकान तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० रोड निर्माण कार्य। 8. वार्ड संख्या 07 में ओमप्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्याम दादू से जानकी कनौजिया के मकान तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० रोड निर्माण कार्य 9. वार्ड संख्या 08 में बिनोद वर्मा के मकान से प्रदीप वर्मा के मकान तक नाला उच्चीकरण व सी०सी० रोड निर्माण कार्य। 10. वार्ड संख्या 10 में कस्बा रोड से कनौजिया नीम स्थान तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	18.61 2.43 47.60 16.27 9.02 13.62 3.63 24.48 2.78 12.35		
		योग	150.79	150.00	37.50
2	नगर पंचायत, नगर बाजार, जनपद-बस्ती	1. वार्ड नं० 02 संत रविदास नगर में राजकोट तिराहे से अनिल श्रीवास्तव के मकान होते हुये दक्षिण टोला शिवपूजन सोनकर के मकान तक सी०सी० सडक व दोनो तरफ आर०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य। 2. वार्ड नं० 02 संत रविदास नगर में गंगाराम गुप्ता के मकान से मस्जिद होते हुये हनुमानगढी तक सी०सी० सडक व दोनो तरफ आर०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य। 3. वार्ड नं० 02 संत रविदास नगर में बलराम गुप्ता के मकान से बिहउती कुआँ होते हुये नाउ टोला तक सी०सी० सडक व दोनो तरफ आर०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य। 4. वार्ड नं० 02 संत रविदास नगर में नगर कप्तानगंज मार्ग से मलिन बस्ती होते हुये डा० अंसारी के दुकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य। 5. वार्ड नं० 01 अम्बेडकर नगर दलित बस्ती में गंगा सागर के मकान से पलालु सोनकर के मकान होते हुये डिवहारे बाबा के स्थान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	39.96 39.85 39.17 39.39 39.58		
		योग	197.95	150.00	37.50
		कुल योग (1+2)	348.74	300.00	75.00

2


नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्वन संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (11) प्रायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
 - (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वाविरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
 - (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
 - (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - (17) 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन' सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (18) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय जाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - (19) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में (मार्च 2024 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
 - (20) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
 - (21) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
 - (22) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (23) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
 - (24) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०टी०/टी०एस०सी० हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890403 नगर पंचायतें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

✓


4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-541-X-2023-24, दिनांक-07 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
01.03.24
अनु सचिव।

संख्या-RP65/2024/136 /002-E-1738383, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-बाराबंकी एवं बस्ती।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
01.03.24
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-07/03/2024

प्रेषण संख्या:- RF65
आवंटन आदेश संख्या:- 001-RF65-2024-136-002-E-1738383
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बस्ती-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3750000 11250000	3750000 11250000
2	बाराबंकी-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3750000 3750000	3750000 3750000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7500000 15000000	7500000 15000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव